-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में फरार चल रहे वाछिंत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व गैंगस्टर एक्ट में वांछित/लापता हिस्ट्रीशीटर/जिलाबदर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 19.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में फरार चल रहे वांछित **अभियुक्त अमजद पुत्र जरीफ नि0 ग्राम बढेडी थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 231/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी में छुटमलपुर कट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अमजद पुत्र जरीफ निवासी ग्राम बढेडी थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार

अभियुक्त अमजद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 06/24 धारा- 379/411 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 02/24 धारा- 379/411 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 231/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2548 विष्णु थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा युवती से छेडखानी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.04.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री के साथ अश्लील हरकते करने व अश्लील फबत्तिया कसने की सूचना के सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 122/2025 धारा 296/75(2)/351(3) बीएनएस 7/8 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त छेड़खानी के मुकदमें में वांछित **अभियुक्त गौरव पुत्र नेपाल सिह निवासी विक्रान्त विहार कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को मिनी बाईपास नयागांव चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पताः-

गौरव पुत्र नेपाल सिह निवासी विक्रान्त विहार कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री बलवीर सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 599 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 2106 लोकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक 19.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 163/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना से अभियुक्त शिवम पुत्र सतीश निवासी कमल विहार कालोनी निकट नवादा रोड़ थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व युवती की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित **अभियुक्त शिवम पुत्र सतीश निवासी कमल बिहार कालोनी नियर नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को कमल विहार कालोनी से गिरफ्तार किया गया। विवेचना व पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64(2)M/65(1) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट की वृध्दि की गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शिवम पुत्र सतीश निवासी कमल बिहार कालोनी नियर नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री देवन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. है0का0714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2025 वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 65(1),137(2) बीएनएस व 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बनाम के अभियुक्त मोहित कुमार पूरण सिंह निवासी बादलपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर व अन्य के पंजीकृत किया गया था। विवेचना से 1. विशाल पुत्र सतीश कुमार निवासी मानकपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2. गगन पुत्र मेनपाल निवासी सकलापुरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के नाम प्रकाश में आये। मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस को धारा 70(1) बीएनएस मे तरमीम किया गया एवं धारा 351(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में महिला संबन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित **अभियुक्त मोहित कुमार पूरणसिंह निवासी बादलपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को बेहट अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित कुमार पूरणसिंह निवासी बादलपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 19.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह थाना कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 19.04.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त चैकिंग के दौरान एक शातिर **अभियुक्त इमरान पुत्र नासिर निवासी अख्तरी मस्जिद के पास एकता कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को कमेला कालोनी मे हाजी नफीस की अलीशा ट्रेडर्स के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 160/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ - अभियुक्त इमरान उपरोक्त ने पूछनें पर बताया कि मै लोगो को डराने, धमकाने व रौब जमाने के लिए अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इमरान पुत्र नासिर निवासी अख्तरी मस्जिद के पास एकता कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण–

01 अवैध चाकू

अभियुक्त इमरान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 38/21धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियन्त्रण अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 39/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 248/2017 धारा 3,5,5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 339/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 160/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 733 अरुण तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1761 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 19.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में ASP/ थाना प्रभारी श्री विवेक तिवारी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 19.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी के मामलें में 01 नशा तस्कर **अभियुक्ता नसीमा पत्नि फारुख निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को धौलाहेडी से दूधगढ की मुख्य सडक पर मनीवाला खडंजे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के कब्जे से 10 अवैध स्मैक बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 83/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

नसीमा पत्नि फारुख निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

10 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
2- हे0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
3- का0 1349 नितिन धनकड थाना चिलकाना सहारनपुर।
4- का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर
5- म0का0 1451 विनिता थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 19.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विवेक तिवारी (आईपीएस) के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी **अभियुक्तगण 1. वाजिद पुत्र सईद निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या—1068/2024 चालानी थाना सरसावा में ग्राम सीकरी खुर्द थाना क्षेत्र चिलकाना से व **2. टिंकू पुत्र पूरण सिह निवासी मनोहरपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1051/2024 धारा 125(3) चालानी थाना फतेहपुर में ग्राम मनोहरपुर थाना क्षेत्र चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. वाजिद पुत्र सईद निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना चिलकाना सहारनपुर
2. टिंकू पुत्र पूरण सिह निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त वाजिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. वाद संख्या—1068/2024 चालानी थाना सरसावा सहारनपुर

अभियुक्त टिंकू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. वाद संख्या 1051/2024 धारा 125(3) चलानी थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 108/23 धारा ¾ व 323/498ए/506 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1- उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
2- है0का0 259 तैजेन्द्र कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
3- का0 2208 रोहित कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा नशा तस्करी के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 09.04.2019 को वादी उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की सूचना बाबत अभियुक्त 1. मौ0 इकराम उर्फ राडा उर्फ साना पुत्र कुरबान निवासी गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के कब्जे से 235 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0-116/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-864/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 19.04.25 को मौ0 इकराम उर्फ राडा उर्फ साना पुत्र कुरबान उपरोक्त को मु0अ0स0-116/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उपनिरीक्षक श्री अनुज कुमार
पैरोकार का0 378 बिजेन्द्र थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक: 19-04-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 झप्पटामार अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 5,71,000/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.9.2024 को वादी श्री धर्मेन्द्र पुत्र बालुराम निवासी ग्राम वहलना थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर की लिखित सूचना बाबत अभियुक्तगण आबिद पुत्र इस्तियाक निवासी ग्राम सुजडू जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के हाथ से जबरदस्ती छः लाख पच्चीस हजार रूपये से भरा थैला छीनकर बुलेट नं0 UPBM3731 के चालक (नाम पता अज्ञात) के साथ बुलेट पर बैठकर फरार हो जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0 212/25 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में लूट/झपटामारी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व झप्पटमार/लूटेरे/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 झप्पटामार **अभियुक्त आबिद पुत्र इस्तियाक निवासी ग्राम सूजडू थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर** को जामिया तिब्बिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 5,71,000/- रूपये नकद (पांच लाख इकत्तर हजार) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ अभि0– मै अजय कुमार जैन S/0 श्री ओमप्रकाश जैन निवासी जनपद मुजफ्फरनगर की गाडी पर ड्राइवर हूं। धर्मेन्द्र, जैन साहब का मुन्शी है हम लोग जगाधरी से चले थे। वहां से धर्मेन्द्र 6,25,000/- रूपये (छः लाख पच्चीस हजार) लेकर मेरे साथ गाडी से आ रहा था। देवबन्द के पास आकर मेरे मन में लालच आ गया और मै चाय पीने के बहाने गाडी रोककर धर्मेन्द्र से रूपयो का यह बैग छीनकर भाग गया था। मै तभी से देवबन्द के जंगलो में छिपा रहा और मै कल यहाँ से बस पकडकर कस्बा लावड थाना इंचौली जिला मेरठ गया वहाँ से मै अपने रिश्तेदार अनस पुत्र इकराम निवासी नई बस्ती लावड जिला मेरठ से 5000/- रूपये में यह सैकण्ड हैण्ड मोबाईल खरीदा और वहाँ पर मेरे ऊपर उसका 14000/- रूपये का कर्जा था, जो मैने उसे चुका दिया था। उसके बाद मै मुजफ्फरनगर गया और इनाम कबाडी सूजडू के 20,000/- रूपये उधार थे वे भी दे दिये और दो जोडी नये कपडे खरीद लिये थे और प्रियंका जो मुजफ्फरनगर रहती है उसके बच्चो के लिये कोर्स खरीद दिया था बाकी पैसे खाने पीने व इधर उधर खर्च हो गये थे। फिर मै रात में छिपने के लिये देवबन्द आ गया था और अब पुलिस से बचकर यहाँ से पंजाब जाने के लिये निकला था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

आबिद पुत्र इस्तियाक निवासी ग्राम सूजडू थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरणः–

5,71,000/- रूपये नकद (लूटे गये रूपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राकेश पंवार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. है0का 09 महबूब अली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. है0का0158 जितेन्द्र थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5. है0का0561 शमीम अहमद थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
6. का01492 कपिल राणा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
7. का01434 कासिम थाना देवबंद जनपद सहारनपुर